कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सीपीसी) की बैठक सं0 56/2000 दिनांक 21-6-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई का कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक (कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री बी.एस.परमार, उपायुक्त जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (सीपी) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक (सीपी) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आईटम्स:-

1.1 एजेण्डा सं0 56/2000-1 :- लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं0 6, खसरा नं0 203/2, ग्राम - नाहरगढ़ के योजना मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में (जोन ए-2) :-

उपायुक्त, जोन ए-2 द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 4,5,6 एवं वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त, ए-2 ने अवगत कराया कि सम्पूर्ण योजना पर एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया हुआ है । प्रकरण पर बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1- मास्टर विकास योजना 2011 में आमेर रोड़ 160 फिट की है । अतः इस सड़क के मध्य बिन्दु से 80 फिट क्षेत्र में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा जविप्रा में निःशुल्क समर्पित की जावेगी । तथा भूखण्ड के पीछे रोड़ 30 फिट रहेगी ।

2- योजना में कुल 7 भूखण्ड है परन्तु मौके पर एक ही व्यावसायिक परिसर निर्मित है । अतः उक्त योजना को एक भूखण्ड के रूप में अनुमोदित किया गया ।

3- मास्टर विकास योजना में उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यावसायिक है । अत: उक्त भूखण्ड को व्यावसायिक के रूप में अनुमोदित किया गया तथा भूखण्ड का 28 फिट चौड़ा भाग जो 30 फिट रोड़ के साथ लगा हुआ है तथा आवासीय के अन्तर्गत दर्शित है उसको भी मौके की स्थिति देखते हुए व्यावसायिक उपयोग के रूप में अनुमोदित किया गया ।

4- राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक:प-5 §2 §नविवि/3/99 दिनांक 26 मई,2000 के अनुसार व्यावसायिक नियमन की दर ली जाये ।

5- भूखण्ड के सैट बैक लागू भवन विनियम के अनुसार होगें ।

6- समिति द्वारा प्रस्तावित सभी 7 भूखण्ड़ो के मूल पट्टे जमा कर उनके संयुक्त नाम से अथवा नियमानुसार स्थानान्तरण शुल्क लेकर ट्रान्सफरी के हक में पुर्नगठन शुल्क लेकर नियमन किया जाएं ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय §सीपीसी §
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक:एफ-।।§।4§जविप्रा/व.नगि/सीपी/56/2000/डी- 303.
दिनांक: 24-6-2000.

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर ।
2- निजी सचिव,सचिव,जविप्रा,जयपुर ।
3- निदेशक§आयोजना§/§वित्त§/§विधि§/§अभियांत्रिकी§जविप्रा,जयपुर ।
4- वरिष्ठ नगर नियोजक§एम.पी.§§सी.पी.§,जविप्रा,जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक जोन ए-2,जविप्रा,जयपुर ।
6- जन सम्पर्क अधिकारी,जविप्रा,जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-।।§सीपीसी§
जविप्रा,जयपुर ।